

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 396] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 2019/माघ 10, 1940 No. 396] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2019/MAGHA 10, 1940

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

का.आ. 509(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के क्रमश: स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

581 GI/2019 (1)

### तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
	राजमार्ग सं.	
(1)	(2)	(3)
549	148एनए	हरियाणा राज्य में केएमपी एक्सप्रेसवे के निकट रारा-148एन के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ
		होकर कैल गांव, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, कालिंदी कुंज, डीएनडी महारानी बाग के निकट न्यू
		आगरा कैनाल को जोड़ते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में सराय काले खां के निकट रारा-
		9 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा.सं. एनएच-14012/27/2014-पी एंड एम(पार्ट-7)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**पाद टिप्पण**: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में इसमें संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 6392(अ), दिनांकित 31.12.2018 द्वारा किया गया था।

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2019

**S.O. 509(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New	Description of National Highways
	National	
	Highway	
	No.	
(1)	(2)	(3)
549	148NA	The highway starting from its junction with NH-148N near KMP Expressway
		connecting Kail Gaon, Ballabhgarh, Faridabad in the State of Haryana, New Agra
		Canal near Kalindi Kunj, DND Maharani Bagh and terminating at its junction
		with NH-9 near Sarai Kale Khan in the UT of Delhi.

[F. No. NH-14012/27/2014-P&M(pt-7)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

**Footnote :** The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted *vide* notification number S.O. 689 (E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 publised in the Gazette of India, dated the 4<sup>th</sup> April, 2011 and subsequently amended *vide* notifications number S.O. 6392 (E), dated 31.12.2018.